सेमीफाइनल में पहुंचीं सायना

खिताब बरकरार रखने की दिशा में बढ़ाया एक और कदम

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)। गत चैंपियन सायना नेहवाल ने खिताब बरकरार रखने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए इंडिया सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में कोरिया की सुंग जि ह्यून को मात दी। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता सायना ने सुंग को 19-21, 21-14, 21-19 से हराया। इससे पहले भी वे सुंग को पांच बार हरा चुकी है।

सायना की कुछ सहज गलतियों के कारण सुंग ने 8-4 की बढ़त बना ली लेकिन भारतीय धुरंधर ने वापसी की। ब्रेक के बाद सायना ने 14-12 से बढ़त बना ली लेकिन फिर सुंग ने वापसी की। सायना एक बार फिर 17-15 से आगे हो गईं लेकिन सुंग ने वापसी करके 18-17 से बढ़त बनाई। सायना ने इसके बाद गलत लाइन काल किया और फिर शटल नेट में चली गई। पहला गेम सुंग ने जीत लिया।

दूसरे गेम में सायना ने 3-1 से बढ़त बना ली थी जब सुंग ने अपने दाहिने टखने के उपचार के लिए ब्रेक लिया। मैच बहाल होने पर सायना ने 6-2 की बढ़त बनाई। सुंग ने 6-6 से वापसी की लेकिन सायना ने ब्रेक तक फिर 11-7 से बढ़त बना ली। ब्रेक के बाद सायना की बढ़त 13-8 की हो गई जो बाद में 19-10 की हो गई। सायना ने दूसरा गेम जीतकर मैच को निर्णायक गेम में खींचा।

निर्णायक गेम में सुंग ने 5-2 की बढ़त बनाई लेकिन उसकी सहज गलतियों के कारण सायना ने 8-6 की बढ़त बना ली। सुंग काफी थकी हुई लग रही थी और ब्रेक तक सायना की बढ़त 11-7 की थी। ब्रेक के बाद सुंग ने लगातार छह अंक लेकर 13-11 की बढ़त बनाई। एक समय स्कोर 17-17 था लेकिन सायना ने जबर्दस्त खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। जीत के बाद सायना ने कहा कि उन्हें लगा नहीं था कि यह इतना कठिन मैच होगा। सुंग बहुत अच्छा खेली। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह इतनी रैलियां लगाएगी। आखिरी कुछ पल काफी तनावपूर्ण थे। अब तक उसके खिलाफ मेरे मैच आसान रहे हैं। इतना लंबा कोई मैच नहीं खिंचा। अब मेरे ऊपर काफी दबाव है। मैं अपने खेल से खुश हूं।

योनेक्स-सनराइज इंडिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की ह्यून सुंग जि के खिलाफ मुकाबले के दौरान सायना नेहवाल।

पूरी तरह विराट के नाम रहा सेमीफाइनल तक का सफर

नयी दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)। टी20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट के 'पोस्टर ब्वाय' विराट कोहली ने खुद को महान खिलाड़ियों की जमात में शामिल करते हुए नई ऊंचाइयों को छुआ जबकि शीर्ष गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण मेजबान टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई। खिताब से कम पर संतोष नहीं करने वाले भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को सेमीफाइनल में टीम की हार नागवार गुजरी होगी। महेंद्र सिंह धोनी की अगुआई वाली टीम से उम्मीद थी कि अपनी सरजमीं पर वे दूसरी बार ताबड़तोड़ क्रिकेट में बादशाहत साबित करेगी।

कोहली ने अकेले दम पर जहां भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, वहीं आर अश्विन और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी औसत रही। दोनों ने पांच मैचों में कुल आठ विकेट ही लिए। टर्निंग विकेटों पर वे गेंद को टर्न नहीं करा सके और बल्लेबाजों की ऐशगाह वानखेड़े की पिच पर तो उनकी जमकर धुनाई हुई। सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो कोहली ने खुद को सचिन तेंदुलकर का वारिस साबित कर दिया जो करोड़ों भारतवासियों की उम्मीदों का बोझ कंधे पर लेकर खेलते रहे हैं। कोहली ने पांच मैचों में 273 रन बनाए लेकिन रनों के आंकड़ों से ज्यादा उनकी बल्लेबाजी का कौशल देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली।

टर्निंग पिच पर पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 55 रन बनाने के बाद आस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने नाबाद 82 रन बनाए। सेमीफाइनल में भी उसने नाबाद 89 रन बनाकर टीम को बड़ा स्कोर दिया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। कोहली के 29 चौके बेहतरीन शाट्स थे चाहे वह कवर ड्राइव हो या स्क्वायर कट। कोहली को हटा दिया जाए तो टी20 विश्व कप में भारत का कोई दूसरा नायक नहीं दिखता। विकेटों के बीच धोनी की दौड़ शानदार रही और उतना ही यादगार रहा बांग्लादेश के खिलाफ मुस्तफिजुर रहमान को दौड़कर आउट करना।

कोहली के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय धोनी रहे जिन्होंने पांच मैचों में 89 रन बनाए। रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। रोहित ने हालांकि सेमीफाइनल में बेहतर प्रदर्शन किया। अंतिम चार में रहना भले ही प्रभावी दिखे लेकिन कई मौकों पर ऐसा लगा कि धोनी अपने गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव कर सकते थे। जामथा हो या ईडन गार्डंस, हरभजन सिंह के रूप में तीसरे स्पिनर को उतारा जा सकता था।

इस साल हरभजन ने एकमात्र टी20 मैच संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेला है जो टैस्ट मैचों में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज के साथ नाइंसाफी है। गेंदबाजी में भारत के लिए आशीष नेहरा ने अच्छा प्रदर्शन किया। युवा जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन 19वां ओवर फेंका जबकि हार्दिक पंड्या ने दिखाया कि अभी सुधार की गुंजाइश है।

अपना स्वाभाविक खेल दिखाकर जीत सकेंगे टी20 विश्व कप : रूट

कोलकाता, 1 अप्रैल (भाषा)। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का मानना है कि यदि उनकी टीम स्वाभाविक खेल दिखा सकी तो टी20 विश्व कप के फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराना कठिन नहीं होगा। रूट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे रवैये में कोई बदलाव आया है। हम वैसा ही खेले, जैसा खेलते हैं और यही सबसे महत्त्वपूर्ण है।

रूट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 44 गेंद में 83 रन बनाए थे। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हम अपना आत्मविश्वास कायम रख सकें और दक्षिण अफ्रीका पर मिली जीत से हमारा मनोबल काफी बढ़ा। सभी ने इसमें कुछ न कुछ योगदान दिया है।

I, Surya Prakash Bansal, Director of M/s Shree Nathji Agro Products Pvt Ltd (TIN: 07620043393) state that DVAT Registration Certificate of Company has been lost. Reg Office: 2639, Naya Bazar, Delhi - 110006

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India
4/6 डी, देशबन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली-110055
(फोन: 011-28833127, 28833128, 23674013)

[नियम-8 (1)]

कब्जा सूचना (प्रतिकात्मक)

(अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 01.01.2016 जारी कर ऋणधारक मै. वैभव एंटरप्राईजेज को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 26,18,58,582/- (रुपए छब्बीस करोड़ अठारह लाख अठावन हजार पांच सौ बयासी मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 31 मार्च, 2016 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 26,18,58,582/- तथा उस पर ब्याज के लिए बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

अधोलिखित स्थानों में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः

1. श्री संजीव गुप्ता एवं श्री राजीव गुप्ता के नाम में एम-ब्लॉक, शॉप नं. एम-33, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली (माप 217 वर्ग यार्ड्स)
   चौहद्दी : उत्तरः प्लॉट नं. एम (शॉप) 34
   दक्षिण : प्लॉट नं. एम (शॉप) 34
   ईस्ट : सड़क
   पश्चिम : सड़क/मैन मार्केट
2. मै. स्काईनेट ज्वैल्स प्रा. लि. के स्वामित्व में शॉप नं. 1, भूतल, म्यूनिसिपल सं. 2821, वार्ड नं. XVI, खसरा नं. 95, ब्लॉक-पी, गली नं. 19, नाईवाला इस्टेट, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, माप 202.35 वर्ग फीट।
   चौहद्दी : उत्तर : कॉमन गली तथा पैसेज
   दक्षिण : कॉमन गली तथा पैसेज
   पूर्व : एच.नं. 2820
   पश्चिम : एच.नं. 2822
3. मै. ब्लैक स्मिथ ज्वैलर्स एलएलपी. (पूर्व में मै. ब्लैक स्मिथ ज्वैलर्स प्राईवेट लि.) के स्वामित्व में प्लॉट नं. 71/1, ब्लॉक बी, लॉरैन्स रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली में भू तल का भाग, क्षेत्रफल 139.25 वर्ग मी.।
   चौहद्दी : उत्तर : सड़क **दक्षिण :** प्लॉट नं. 70
   पूर्व : सड़क **पश्चिम :** प्लॉट नं. 71/2
4. मै. बेस्टो ज्वैलर्स एलएलपी (पूर्व में मै. बेस्टो ज्वैलर्स प्राईवेट लि.) के स्वामित्व में प्लॉट नं. 71/1, ब्लॉक बी, लॉरैन्स रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली में 3रे तल (पार्ट-II) का भाग, माप 139.25 वर्ग मी.।
   चौहद्दी : उत्तर : सड़क **दक्षिण :** प्लॉट नं. 70
   पूर्व : सड़क **पश्चिम :** प्लॉट नं. 71/2
5. मै. बेस्टो ज्वैलर्स एलएलपी (पूर्व में मै. बेस्टो ज्वैलर्स प्राईवेट लि.) के स्वामित्व में प्लॉट नं. 71/1, ब्लॉक बी, लॉरैन्स रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली में 3रे तल (पार्ट-I) का भाग, माप 140 वर्ग मी.।
   चौहद्दी : उत्तर : सड़क **दक्षिण :** प्लॉट नं. 70
   पूर्व : सड़क **पश्चिम :** प्लॉट नं. 71/2
6. मै. श्रीधर जेम्स एंड ज्वैल्स प्रा. लि. (पूर्व में नक्षत्र जेम्स प्रा. लि.) के स्वामित्व में ओ ब्लॉक, वार्ड नं. XVI, खसरा नं. 2833/2614, हरध्यान सिंह रोड, रेगड़पुरा बस्ती बीडनपुरा, करोल बाग में भू तल का भाग एमपीएल सं. 3015, क्षेत्रफल 202.35 वर्ग फीट।
   चौहद्दी : उत्तर : हरध्यान सिंह रोड **दक्षिण :** गली नं. 38
   पूर्व : खसरा नं. 2833/2614 **पश्चिम :** गली/नाला

तिथिः 31.3.2016 हस्ता/-
स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी

शास्त्री का करार खत्म, समिति लेगी नए कोच पर फैसला : बीसीसीआइ

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (भाषा)। बीसीसीआइ सचिव अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि टीम निदेशक रवि शास्त्री का करार खत्म हो चुका है लेकिन सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली की क्रिकेट सलाहकार समिति अगर सही मानती है तो इसका नवीनीकरण हो सकता है। बीसीसीआइ ने शास्त्री के साथ टी20 विश्व कप के आखिर तक करार किया था। भारत के सेमीफाइनल में हारने के साथ ही उनका करार खत्म हो गया। शास्त्री के करार का अब नवीनीकरण होता है तो वे निदेशक नहीं बल्कि पूर्णकालिक कोच होंगे।

ठाकुर ने कहा कि रवि शास्त्री का अनुबंध खत्म हो गया है। हम पूर्णकालिक कोच चाहते हैं और क्रिकेट सलाहकार समिति इस पर फैसला लेगी। टीम के लिए पूर्णकालिक कोच और टीम निदेशक नहीं हो सकते। सिर्फ एक पद होगा और रवि के करार का भी नवीनीकरण हो सकता है। इसकी संभावना के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से समिति का फैसला होगा लेकिन पद पूर्णकालिक कोच का होगा। समिति को इस पद के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए कहा गया है।

नई नियुक्ति या नवीनीकरण के बारे में फैसला वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच रविवार को होने वाले टी20 विश्व कप के फाइनल के बाद लिया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि क्रिकेट सलाहकार समिति की बैठक तीन अप्रैल के बाद होगी। यह आइपीएल शुरू होने से पहले भी हो सकता है। तारीखों के बारे में फैसला लेना होगा। शास्त्री ने 2014 में भारतीय टीम की कमान संभाली थी। उनके निदेशक रहते भारतीय टीम ने इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती, आस्ट्रेलिया में टैस्ट सीरीज गंवाई और त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में नहीं पहुंच सकी लेकिन वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची और आस्ट्रेलिया को टी20 श्रृंखला में 3-0 से हराया।

शिव थापा को एशियाई क्वालीफायर्स में मिला रजत

क्विनयान (चीन), 1 अप्रैल (भाषा)। ओलंपिक कोटा स्थान हासिल कर चुके भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को एशिया ओसियाना क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के 56 किग्रा वर्ग के फाइनल में आज यहां हार के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा। असम का यह 22 वर्षीय मुक्केबाज फाइनल में थाईलैंड के चाटचाइ बुटदी के हाथों 0-3 से हार गया। बुटदी मौजूदा एशियाई चैंपियन हैं।

शिव ने गुरुवार को फाइनल में जगह बनाकर रियो डि जनेरियो के लिए अपनी टिकट पक्की कर दी थी। उन्होंने सेमीफाइनल में कजाखस्तान के कैराट येरालियेव को हराया। इस बीच एल देवेंद्रो सिंह (49 किग्रा) दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने से चूक गए। गुरुवार को सेमीफाइनल में हारने वाला यह मुक्केबाज शुक्रवार को ओलंपिक कोटा के लिए बाक्स आफ में भी हार गया।

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ
प्रथम तल, यूनियन बैंक भवन, मंत्री आवास के पास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, 226 020
दूर:0522- 2306893-94 फै:-2306884

अधिग्रहण सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत और धारा 13(2) तथा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की सपठित नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, का भुगतान सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहा था। ऋणी के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/जमानतदार और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 4, 8 और 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है।

ऋणगृहिता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी प्रकार से कोई क्रय-विक्रय यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का बकाया धनराशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के अधीन होगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. स.	खाताधारक का नाम / जमानतकर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण	देय सूचना /अधिग्रहण की तिथि /बकाया धनराशि
	शाखा: गोमती नगर, फोन नं. 0522-2300590		
1.	बकाएदार: श्री अभिलाषा गुप्ता एवं श्री नन्द गोपाल गुप्ता, निवासी- 292, बहादुर गंज, इलाहाबाद, उ0प्र0	श्री अभिलाषा गुप्ता एवं श्री नन्द गोपाल गुप्ता के स्वामित्व में : मकान नं. बी-2/41, विजयन्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, चौहद्दी: पूर्व- प्लॉट सं. 2/6 एवं 2/7, पश्चिम- सड़क, उत्तर-मकान नं. 2/40, दक्षिण- मकान नं. 2/42	19.11.2015 / 30.03.2016 बकाया रु 10327496/- एवं दिनांक 01.11.2015 से देय ब्याज व अन्य खर्च
	शाखा: सचिवालय, फोन नं. 0522-2238396		
2.	बकाएदार: श्रीमती रचना दुबे पत्नी स्व. श्री राहुल पाठक एवं सभी कानूनी उत्तराधिकारी राहुल पाठक द्वारा रचना दुबे निवासी मकान नं. 321/1, दयाल रेजीडेन्सी, फैजाबाद रोड, लखनऊ जमानतदार: श्री आशीष पाण्डेय पुत्र श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय, निवासी- 101, लोहिया पथ रॉयल ब्लॉक-1, एल्डिको ग्रीन अपार्टमेंट, निकट फन रिपब्लिक माल, गोमती नगर, लखनऊ	श्री स्व. श्री राहुल पाठक के स्वामित्व में : खसरा नं. 569 ख का प्लॉट नं. 65 एवं 66 का मिनजुमला बौरामऊ, परगना बख्शी का तालाब, लखनऊ, चौहद्दी: पूर्व- रोड, पश्चिम- प्लॉट नं. 64, उत्तर- अराजी दीगर, दक्षिण- सड़क	14.01.2016 / 29.03.2016 बकाया रु 5303559.05 एवं दिनांक 01.01.2016 से देय ब्याज व अन्य खर्च

दिनांक : 01.04.2016, स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के अनुपालन में]
केंद्र सरकार के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में
तथा
साइट लाइफ एडवॉयजरी प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 404, सी-1, यूनीवर्ल्ड सिटी वेस्ट, सेक्टर 30, गुड़गांव, हरियाणा 122002 में है, के मामले में

- आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26 फरवरी, 2016 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे निम्न पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

आवेदक के लिए
तथा उनकी ओर से
हस्ता./-
अपराजित भट्टाचार्य
निदेशक

तिथि: 2 अप्रैल, 2016
स्थान: 404, सी-1, यूनीवर्ल्ड सिटी वेस्ट, सेक्टर 30, गुड़गांव, हरियाणा-122002

कार्यालय: रिकवरी अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री की उदघोषणा

आर.सी. नं. 107/2014 तिथि: 22.03.2016

ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स बनाम श्री राजकुमार मित्तल एवं अन्य

1. श्री राज कुमार मित्तल, पुत्र श्री ओम प्रकाश मित्तल, निवासी जे-15/6, गली नं. 1, जय प्रकाश मार्ग, गामरी रोड, घोण्डा, दिल्ली-110053
2. मैसर्स मित्तल नोवल्टीज- श्री राज कुमार मित्तल, 182, गई जटवारा, सदर बाजार, दिल्ली-110006
3. श्रीमती पुष्पा मित्तल पत्नी श्री राज कुमार मित्तल, निवासी जे-15/6, गली नं. 1, जय प्रकाश मार्ग, गामरी रोड, घोण्डा, दिल्ली-110053

जैसा कि आप, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा ओ.ए.नं. 250/2010/ डीआरटी-III/ दिल्ली में वसूली प्रमाणपत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 12,39,956/- (रुपए बारह लाख उन्तालीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र) तथा प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागतों का भुगतान करने में असफल रहे हैं।

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित प्रमाणपत्र की संतुष्टि के लिए निम्न अनुसूची में निर्देशित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जैसा कि, 12,39,956/- (रुपए बारह लाख उन्तालीस हजार नौ सौ छप्पन मात्र) तथा लागत एवं भविष्य की ब्याज- ओए के दाखिल करने की तिथि अर्थात् 04.10.2010 से @ 12% प्रति वर्ष सामान्य की दर से- संयुक्त रूप से एवं अलग-अलग पूर्ण रूप से इसकी वसूली होने तक सीडी'ज के विरुद्ध देय है।

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में, कथित सम्पत्ति की बिक्री 02.05.2016 को ई-नीलामी द्वारा की जाएगी तथा बोली "ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक बिडिंग" के माध्यम से वेबसाईट http://www.drt.auctiontiger.net मैसर्स ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रोक्यूर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II सम्मुख ओरिएंट क्लब के निकट गुजरात कॉलेज एलिस ब्रिज अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 7940016800, फैक्स नं.: +917940016876, संपर्क व्यक्ति श्री कौशल कोठारी मोबाइल नं. 08980690773, ई-मेलः kaushal@auctiontiger.net, के माध्यम से की जाएगी।

अधिक विवरणार्थ संपर्क करें: श्री अनिल कुमार मुख्य प्रबंधक, मोबाइल नं. 9811117952, लैंडलाइन नं. 011-23719122/ वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली # 011-23748468।

निम्नलिखित अनुसूची में उपरोक्त नामित प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी तथा कथित सम्पत्ति से संलग्न देयताएं एवं दावे, जहां तक कि वे निश्चित किए गए हैं, वे है जो प्रत्येक लॉट के विरुद्ध अनुसूची में वर्णित अनुसार हैं।

सम्पत्ति को अनुसूची में वर्णित लॉट्स में बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूली जाने वाली राशि सम्पत्ति के किसी हिस्से की बिक्री द्वारा वसूल ली जाती है तो शेष के सम्पत्ति के संदर्भ में बिक्री तुरंत बंद कर दी जाएगी। बिक्री तब भी बंद कर दी जाएगी यदि किसी लॉट की बोली होने से पूर्व, कथित प्रमाणपत्र में निर्देशित बकाया राशि, ब्याज एवं लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री संचालित करने वाले अधिकारी के पास निवेदित की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए यह साक्ष्य दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है।

कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसको बिक्री के संदर्भ में कोई कर्त्तव्य निष्पादित करना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति अर्जित नहीं करेंगे या बेची गई सम्पत्ति में कोई हित नहीं अर्जित करेंगे। बिक्री आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्त तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में वर्णित विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिए गए हैं तथा अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत-बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1. आरक्षित मूल्य जिसके कम में संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी, रु. 25.11 लाख (रुपए पच्चीस लाख ग्यारह हजार मात्र) है।
2. वह राशि जिसके द्वारा बोली की वृद्धि की जाएगी रु. 50,000 (रुपए पचास हजार मात्र) है। बोली राशि या बोलीदाता के संदर्भ में किसी विवाद पैदा होने की स्थिति में, लॉट को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को किसी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। अधोहस्ताक्षरी का यह विवेकाधिकार होगा कि वह उच्चतम बोली को स्वीकार करने से मना कर दे जबकि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इस प्रकार अपर्याप्त लगे कि एसो करना अविवेकपूर्ण लगे।
4. धरोहर राशि रु. 2.50 लाख, (रुपए दो लाख पचास हजार) रिकवरी अधिकारी, डीआरटी-III, दिल्ली के पास वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में 28.04.2016 को डीडी/ पे आर्डर द्वारा जमा करना होगा। उसके बाद जमा की गई राशि, नीलामी में भागीदारी के लिए विचारणीय नहीं होगी।
5. पैन कार्ड, पता साक्ष्य तथा पहचान साक्ष्य की प्रति, ई-मेल, मोबाइल नंबर तथा घोषणा यदि वे अपने स्वयं की ओर से या अपने मालिकों की ओर से बोली करना चाहते हैं। बाद की स्थिति में, उनको अपना प्राधिकार जमा करना होगा तथा इसमें असफल रहने पर उनकी बोलियां निरस्त कर दी जाएंगी। कम्पनी के मामले में, कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज जो कि कम्पनी के प्रतिनिधित्व/ अटार्नी को अभिपुष्ट करता हो तथा उस जमा राशि की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता या सीएच बैंक के पास कथित तिथि तक ई-मेल द्वारा या अन्यथा पहुंच जाना चाहिए तथा हार्ड प्रति, वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के समक्ष जमा करना होगा।
6. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के अप. 3.00 बजे तक उपरोक्त पैरा 4 में वर्णित विवरण अनुसार कथित खाते में धरोहर राशि के समायोजन के पश्चात अपनी अंतिम बोली राशि की 25% राशि जमा करनी होगी।
7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि 15वें दिन या उससे पूर्व अंतिम बोली राशि की शेष 75% राशि जमा करनी होगी। यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस पर उपरोक्त पैरा 4 में कथित अनुसार निर्धारित तरीके से जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रु. 1000/- तक @ 2% तथा रु. 1000/- से अधिक की राशि पर @ 1% पाउंडेज शुल्क वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-III के पास जमा करना होगा।
8. निर्धारित अवधि में भुगतान करने में असफल रहने पर, सम्पत्ति की बिक्री की नई उद्घोषणा जारी होने के बाद पुनः बिक्री की जाएगी। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझते हैं तो बिक्री के खर्चे को घटाने के बाद जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता के संपत्ति या उसके किसी हिस्से, जिसे बाद में बेचा जा सकता है, पर सभी दावे जब्त हो जाएंगे।
9. वसूली अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने तथा नीलामी को निरस्त करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. सीएच बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि जहां पर सम्पत्ति अवस्थित है या सीडी'ज निवास करते हैं या लाभ प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, उस परिक्षेत्र में प्रकाशित होने वाले पर्याप्त सर्क्युलेशन वाले/ व्यापक तौर पर सर्कुलेशन वाले अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में ई-नीलामी सूचना को प्रकाशित करना होगा। सी.एच. बैंक, नीलामी की तिथि तक पैम्फलेट्स तथा ड्रम पीटने आदि के द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करेगा तथा इसकी रिपोर्ट अधिकरण को पेश करेगा।
11. सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि नीचे दिए गए विवरणों की सत्यता की जांच एवं प्रमाणित कर ले।
    संपत्ति की बिक्री **'जैसे है जहां है आधार तथा जैसे जो है आधार पर'** की जा रही है।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

लाट नं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण सह- स्वामियों जहां संपत्ति डिफॉल्टर से संबंधित है या सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के नाम सहित	संपत्ति या इसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व	किसी अन्य ऋणभार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा कोई अन्य ज्ञात विवरण जिसमें इसकी प्रकृति एवं मूल्य हो
	संपत्ति सं. जे-15/6, गली नं. 1, जय प्रकाश नगर, गामरी रोड, घोण्डा इलाका, शाहदरा, दिल्ली-110053	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित 22 मार्च, 2016 को जारी

सुजीत कुमार
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

डाबर इण्डिया लिमिटेड
CIN - L24230DL1975PLC007908,
Reg